

क्षेत्रीय कार्यालय उपनिबन्धक फर्मस सोसाइटीज एवं चिट्स आगरा
पत्रांक ५५२। आई-64330/आगरा दिनांक : १०/११/०९

सेवा में,

श्री दीपक कुमार सक्सैना,
निवासी- ई-३, महाविद्या कॉलौनी,
फेस-१, भृत्युरा ।

बिषय :- संस्था अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, मैनपुरी के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके आवेदन पत्र दिनांक 04.11.2009 जो कार्यालय में दिनांक 09.11.2009 को प्राप्त हैं, के सम्बंध में अंगत कराना है कि :

- 1- प्रस्तर संख्या 1 के क्रम में सूचित करना है कि कार्यालय में प्रस्तुत कार्यकारिणी की सूची वर्ष 2005 के अनुसार श्री कैलाश नारायण सांरग अध्यक्ष तथा श्री निर्मल शंकर श्रीवास्तव महामंत्री दर्शाये गये हैं उक्त वर्ष की सूची में संगठनमंत्री का कोई पद नहीं हैं यह सूची पत्रावली में संलग्न हैं परन्तु कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं । वर्तमान में कोई भी पदाधिकारी अथवा कार्यकारिणी की सूची विधिमान्य नहीं हैं ।
- 2- प्रस्तर संख्या 2 के सम्बंध में सूचित करना है कि संस्था के पंजीकरण के समय का संविधान दिनांक 22.1.1981 वैद्यानिक है, इसके बाद संविधान में कोई भी संशोधन एवं परिवर्तन नहीं किया गया, इस कारण से संशोधित एवं परिवर्तित संविधान मान्य नहीं हैं । संस्था के संचालन हेतु पंजीकृत रांगविधान ही मान्य होगा ।
- 3- प्रस्तर संख्या 3 के सम्बंध में सूचित करना है कि संस्था की पत्रावली में विवाद उत्पन्न है पत्रावली के अनुसार चुनाव दिनांक 05.5.2009 को प्राप्त है । पंजीकृत विद्यान में कार्यकाल दो वर्ष दिया गया है ।

भवदीय
८/११/०९
उपनिबन्धक
आगरा, भृत्युरा